कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–7521 दो–12–16/2024 उज्जैन, दिनांक 03 NOV 2025

कतिपय मामलों में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि न्यायालयों से निराकृत आपराधिक प्रकरणों के मुद्देमाल पर्चे मालखाना/नजारत अनुभाग में प्रकरणों के निर्णय के पश्चात् यथासमय नहीं भिजवाये जा रहे हैं। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जावे कि आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा मुद्देमाल के मुद्देमाल पर्चे/पत्रक को प्रकरण के निराकरण उपरांत उसपर तत्काल निर्णय की टीप अंकित कर पर्चे को मालखाना अनुभाग में भेजा जावें एवं प्रकरण के संलग्न इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे कि प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल/पत्रक पर निर्णयानुसार टीप अंकित कर उसे मालखाना/नजारत अनुभाग में जमा करा दिया गया है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। भविष्य में यदि पालन किया जाना नहीं पाया जाता है तो ऐसे संबंधित कर्मचारी एवं अभिलेखापाल के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां. क्र0 9981/ दो–12–16/2024 **उज्जैन, दिनांक 03 NOV 2025**

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रभारी अधिकारी, मालखाना अनुभाग, उज्जैन, खाचरौद, नागदा, बड़नगर, तराना, महिदपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिक से अधिक मुद्देमाल का नियमानुसार निराकरण किया जाना सुनिश्चित् करें।
2. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग, उज्जैन की ओर परिपत्र की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, परिपत्र की उपरोक्तानुसार प्रति सर्व संबंधित को ई–मेल/व्हाट्सएप द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चत् करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

Govt. Exlino Cy 2017 18